मोहाली, अमृतसर और होशियारपुर में नशा और हथियार तस्करी में 11 गिरफ्तार

बड़ी आपराधिक वारदात को समय रहते टाला गया, भारी मात्रा में हेरोइन और अवैध हथियार बरामद, पाकिस्तान और अन्य राज्यों से जुड़े नेटवर्क की जांच तेज

समर न्यूज़ | चंडीगढ़

होशियारपुर पुलिस ने एक बड़े अंतर-राज्यीय/विदेशी संबंधों वाले नशा तस्करी और गैर-कानूनी हथियार तस्करी मॉड्यूल के चार गुर्गों को 9.925 किलोग्राम हेरोइन, दो .30 बोर के विदेशी पिस्तौलों सहित आठ मैगजीन और 40 जिंदा कारतूसों के साथ गिरफ्तार करके इस मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। यह जानकारी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने आज यहां दी।

गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान मनजिंदर सिंह उर्फ सोनू निवासी गांव पथरालियां (होशियारपुर), शिवम भंडारी निवासी धीना (जालंधर), साहिल मसीह उर्फ मोनू निवासी गांव पखोके टाहली (गुरदासपुर) और रमेल रौजर निवासी गढ़शंकर (होशियारपुर) के रूप में हुई है।

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि गिरफ्तार किए गए आरोपी विदेशी गैंगस्टरों से सीधे संपर्क में थे और उनके स्थानीय हैंडलर के रूप में काम करते हुए नशीले पदार्थों की तस्करी तथा गैर-कानूनी हथियारों की सप्लाई करते थे। डीजीपी ने कहा कि इस मामले में आगे-पीछे के संबंध स्थापित करने के लिए और जांच की जा रही है ताकि पूरे नेटवर्क का खात्मा किया जा सके। ऑपरेशन संबंधी विवरण साझा करते हुए सीनियर पुलिस सुपरिंटेंडेंट (एस.एस.पी.) होशियारपुर संदीप कुमार मलिक ने बताया कि विश्वसनीय सूत्रों से मिली पुख्ता जानकारी पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीमों ने गढ़शंकर क्षेत्र में विशेष नाकाबंदी की और शक के आधार पर एक i-20 कार को रोका तथा चार आरोपियों को गिरफ्तार किया। बाद में तलाशी के दौरान उनकी गाड़ी से हेरोइन और हथियारों की खेप भी बरामद की गई।

एस.एस.पी. ने आगे कहा कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से एक साहिल मसीह, आदतन अपराधी है और जिला बटाला में पुलिस पार्टी पर गोलीबारी करने के मामले में भी शामिल है। उन्होंने कहा कि जांच जारी है और आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां तथा बरामदगियां होने की संभावना है। इस संबंध में होशियारपुर के गढ़शंकर पुलिस थाना में केस दर्ज किया गया है।

■ इसी तरह दूसरे मामले में अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने सरहद पार और मध्य प्रदेश आधारित गैर-कानूनी हथियार सप्लाई मॉड्यूल के तीन मुलजिमों को छह पिस्तौलों समेत गिरफ्तार करके इस मॉड्यूल को बेअसर कर दिया है। यह जानकारी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने आज यहां साझा की।

गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान दीपक सिंह उर्फ दीपू (22) निवासी कश्मीर एवेन्यू, अमृतसर; अरुण कुमार उर्फ साबू (26) निवासी नारायणगढ़, अमृतसर और सुखजिंदर सिंह उर्फ सुखा (29) निवासी रेहाना जट्टां, कपूरथला के रूप में हुई है। बरामद की गई पिस्तौलों में एक .30 बोर पीएक्स5 पिस्तौल, तीन .32 बोर और दो .30 बोर पिस्तौलों समेत सात जिंदा कारतूस शामिल हैं।

ऑपरेशन संबंधी विवरण साझा करते हुए पुलिस कमिश्नर (सी.पी.) अमृतसर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि पुख्ता जानकारी के आधार पर योजनाबद्ध ऑपरेशन के तहत पुलिस टीमों ने कार्रवाई करते हुए पहले दीपक उर्फ दीपू को एक पिस्तौल समेत गिरफ्तार किया और बाद में उसकी निशानदेही पर दो और पिस्तौलें बरामद की गईं। उन्होंने आगे बताया कि दीपक के खुलासे पर उसके दो अन्य साथी अरुण उर्फ साबू और सुखजिंदर उर्फ सुखा को भी गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से तीन पिस्तौलें बरामद की गईं।

सी.पी. ने बताया कि प्रारंभिक जांच से यह भी पता लगा है कि मुलजिमों ने ये गैर-कानूनी हथियार बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने के लिए खरीदे थे, जिसे पुलिस की मुस्तैद कार्रवाई ने सफलतापूर्वक टाल दिया है। उन्होंने आगे कहा कि मुलजिम दीपक उर्फ दीपू और अरुण उर्फ साबू की पहले भी इरादतन कत्ल, चोरी और अन्य गंभीर अपराधों से संबंधित मामलों में संलिप्तता है।

इस संबंध में सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत केस दर्ज किया गया है।

■ इसी तरह मोहाली पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में विदेशी गैंगस्टरों द्वारा संचालित एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस दौरान चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से दो विदेशी .30 बोर पिस्तौल और आठ जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अरमान सिंह, चिराग, रविंदर सिंह उर्फ राहुल और अक्षय उर्फ प्रिंस के रूप में हुई है, जो पटियाला जिले के अलग-अलग गांवों के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से एक कार भी बरामद की है, जिसमें वे सफर कर रहे थे। पंजाब पुलिस के महानिदेशक गौरव यादव के मुताबिक, प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी अक्षय उर्फ प्रिंस जुलाई 2025 में अबोहर के एक शोरूम मालिक की हत्या के मामले में शामिल था और उसने मुख्य हमलावरों को सहायता दी थी। अधिकारियों के अनुसार, गुप्त सूचना के आधार पर अंबाला-चंडीगढ़ मार्ग पर विशेष नाकाबंदी की गई थी। इसी दौरान जनेटपुर लिंक रोड के पास पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

CAL-30 MAUSER
14X SHOOTER

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरमनदीप हंस ने बताया कि आरोपी विदेशी हैंडलरों के निर्देश पर राज्य में बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे। उनकी गिरफ्तारी से गंभीर अपराध टल गए हैं।

इस मामले में डेरा बस्सी थाने में भारतीय न्याय संहिता और शस्त्र अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस पूरे नेटवर्क को खत्म करने के लिए जांच आगे बढ़ा रही है।

पंजाब में बेअदबी कानून का नोटिफिकेशन जारी

उम्रकैद और 25 लाख तक जुर्माने का प्रावधान

समर न्यूज़ | चंडीगढ़

पंजाब सरकार ने बेअदबी से जुड़े मामलों में सख्ती दिखाते हुए नए कानून का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस कानून के लागू होने के बाद अब नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। दोषी पाए जाने पर कम से कम 10 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा और 5 लाख से 25 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही ऐसे मामलों को गैर-जमानती श्रेणी में रखा गया है। इस कानून के साथ ही पंजाब पुलिस ने जांच प्रक्रिया को और प्रभावी बनाने के लिए नई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) भी लागू की है, जिसे पंजाब जाँच ब्यूरो ने तैयार किया है। एसओपी के तहत जांच में फॉरेंसिक सटीकता, डिजिटल साक्ष्यों की सुरक्षा और समयबद्ध कानूनी कार्रवाई पर विशेष जोर दिया गया है। साथ ही डिजिटल माध्यमों के जरिए होने वाली बेअदबी या फंडिंग की भी गहन जांच की जाएगी। नई व्यवस्था के अनुसार, सूचना मिलते ही थाना प्रभारी और जांच अधिकारी को तुरंत घटनास्थल पर पहुंचना होगा। सबूतों की सुरक्षा के लिए दोहरी घेराबंदी एक आंतरिक और एक बाहरी करना अनिवार्य होगा, ताकि किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ रोकी जा सके। धार्मिक ग्रंथों, विशेष रूप से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंगों या अन्य प्रतीकों को केवल अधिकृत धार्मिक प्रतिनिधियों की मौजूदगी में पूरी मर्यादा के साथ संभाला जाएगा। हर घटनास्थल की उच्च गुणवत्ता वाली फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और मैपिंग की जाएगी और फॉरेंसिक टीमों को तुरंत मौके पर बुलाया जाएगा। जांच केवल आरोपी तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसके पीछे की साजिश और मास्टरमाइंड तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा। सोशल मीडिया, डीपफेक वीडियो और भ्रामक सामग्री की जांच के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) तकनीक का उपयोग किया जाएगा, साथ ही बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी के जरिए होने वाली फंडिंग पर भी नजर रखी जाएगी। सरकार ने इन मामलों की जांच के लिए 60 से 90 दिनों की समय सीमा तय की है, जिसके भीतर चालान पेश करना अनिवार्य होगा। यदि आरोपी मानसिक रूप से अस्थिर प्रतीत होता है, तो उसकी स्थिति का आकलन करने के लिए फॉरेंसिक मनोवैज्ञानिकों का मेडिकल बोर्ड गठित किया जाएगा। इन मामलों की निगरानी सीधे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या पुलिस कमिश्नर स्तर के अधिकारी करेंगे, ताकि जांच में पारदर्शिता और तेजी बनी रहे।

सीएम डॉ. यादव ने कृषि मंत्री की नातिनी को दिया आशीर्वाद

एजेंसी | भोपाल

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को मुरैना में किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ऐदल सिंह कंषाना के निवास पहुंचकर उनकी नातिनी आयुष्मति दीपिका (पुत्री स्वर्गीय भूरा सिंह कंषाना) एवं आयुष्मान यतेन्द्र (पुत्र राव राजेश्वर सिंह, निवासी सिरसौद दयेली, ग्वालियर) को विवाह अवसर पर आशीर्वाद प्रदान किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नवदंपति को शुभाशीष देते हुए उन्हें उपहार भी भेंट किए और उनके सुखद एवं समृद्ध वैवाहिक जीवन की कामना की। इस अवसर पर वरिष्ठ विधायक एवं प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, सांसद शिव मंगल सिंह तोमर, महापौर शारदा सोलंकी सहित जनप्रतिनिधि एवं परिजन उपस्थित थे।

पुलिस कॉलोनी के सामने सड़क हादसे में महिला घायल

शुभम शर्मा | फिल्लौर
समर न्यूज़

फिल्लौर-नवांशहर रोड पर स्थित पुलिस कॉलोनी के सामने एक सड़क हादसा हुआ, जिसमें दो कारों की टक्कर हो गई। इस बारे में मिली जानकारी के अनुसार, हादसा गाड़ियों की तेज लाइट ड्राइवरों की आंखों में पड़ने के कारण हुआ।हादसे में किसी को चोट नहीं आई, जो बड़ी राहत की बात है। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत मदद की और पुलिस को सूचना दी। 112 नंबर पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में किया। घायल राजविंदर कौर को तुरंत सिविल अस्पताल फिल्लौर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू कर दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और ड्राइवरों से अपील की है कि वे रात में हाई बीम लाइट का सही इस्तेमाल न करें ताकि ऐसे हादसों से बचा जा सके।

खड़े टिप्पर से कार की जोरदार टक्कर, महिला की मौत

सौरव अरोड़ा | लुधियाना
समर न्यूज़

सोमवार सुबह फिल्लौर-रामगढ़ मार्ग पर हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार में सवार अन्य दो लोग बाल-बाल बच गए।

जानकारी के अनुसार मृतका की पहचान सिमरनजीत कौर, पत्नी रणजोत सिंह, निवासी डेरा बाबा नानक के रूप में हुई है। वह सोमवार सुबह करीब 5 बजे डेरा बाबा नानक से लुधियाना की ओर किसी निजी कार्य के लिए कार से जा रही थीं।

बताया जा रहा है कि जैसे ही उनकी कार फिल्लौर-रामगढ़ इलाके के पास पहुंची, सड़क किनारे खड़े एक टिप्पर से गाड़ी की तेज टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि सिमरनजीत कौर ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के समय कार में मौजूद मृतका की सास और ड्राइवर को मामूली चोटें आईं और वे सुरक्षित बच गए।

घटना की सूचना मिलते ही एसएसएफ की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। फिल्लौर थाने के ड्यूटी अधिकारी विजय कुमार भी मौके पर पहुंचे।

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल फिल्लौर में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।

यूएपीए और देशद्रोह केस की सुनवाई टली, अब 30 मई को अगली तारीख

समर न्यूज़ | मोहाली

यूएपीए और देशद्रोह से जुड़े मामले में सोमवार को मोहाली की जिला अदालत में सुनवाई हुई, लेकिन कोई ठोस निर्णय नहीं हो सका। यह मामला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-1 की विशेष अदालत में विचाराधीन है। पिछली सुनवाई के दौरान केस को संबंधित अदालत में स्थानांतरित करने के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पास फाइल पहुंची थी, जिस पर फैसला सुरक्षित रखा गया था। सोमवार को भी इस पर कोई आदेश जारी नहीं हुआ, जिसके चलते अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 30 मई निर्धारित की है। यह मामला पंजाब में कोरोना काल के दौरान कथित तौर पर भड़काऊ और देशविरोधी ऑडियो संदेश फैलाने से जुड़ा है। एसएसओसी ने इस मामले में गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ केस दर्ज किया था। जांच के अनुसार, एक अंतरराष्ट्रीय नंबर से प्री-रिकॉर्डेड ऑडियो संदेश 22 से 30 मार्च 2020 के बीच 3000 से अधिक लोगों को भेजे गए थे। इन संदेशों में पंजाब सरकार पर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगाए गए थे और कथित तौर पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी गई थी। जांच में सामने आया कि ये संदेश अमेरिका के न्यूयॉर्क से प्रसारित किए जा रहे थे और इनका उद्देश्य लोगों को भड़काना तथा अलगाववादी विचारधारा को बढ़ावा देना था। पुलिस के मुताबिक, 'सिख्स फॉर जस्टिस' संगठन, जिससे पन्नू जुड़ा है, को भारत सरकार पहले ही गैरकानूनी घोषित कर चुकी है। इस संगठन पर देश की एकता और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों में शामिल होने के आरोप हैं। प्रारंभिक जांच में यह भी पाया गया कि कोरोना महामारी के दौरान उत्पन्न भय और अस्थिरता का फायदा उठाकर इस तरह की सामग्री प्रसारित की गई।

सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशंस के दो वरिष्ठ अधिकारियों को किया गिरफ्तार

समर न्यूज़ | नई दिल्ली

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड मामले में रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के दो वरिष्ठ अधिकारियों डी विश्वनाथ और अनिल कल्या को गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर दर्ज मामले में हुई है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कंपनी ने धोखाधड़ीपूर्ण गतिविधियों के जरिए बैंकों को भारी नुकसान पहुंचाया। एजेंसी रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड प्रमुख अनिल अंबानी से भी कई बार पूछताछ कर चुकी है। सीबीआई ने बताया कि रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड, अनिल डी अंबानी और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ नियमित मामला दर्ज किया गया था। शिकायत के अनुसार, कंपनी को दिए गए ऋण सुविधाओं के दुरुपयोग से एसबीआई को लगभग 2929.05 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, जबकि कुल 17 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों को लगभग 19,694.33 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION
CBI
CB

जांच में सामने आया है कि कंपनी ने शेल कंपनियों के जरिए परिपत्र लेन-देन किए और समूह की इकाइयों के साथ फर्जी सेवा-संबंधी लेन-देन के लिए डिस्काउंटेड एलसी खोले, जो बाद में बैंकों पर बोझ बन गए। सीबीआई ने बताया कि डी विश्वनाथ, रिलायंस कम्युनिकेशन के संयुक्त अध्यक्ष (बैंकिंग संचालन) के प्रभारी थे और उनके निर्देश पर धन का दुरुपयोग किया गया। उपाध्यक्ष अनिल कल्या ने सक्रिय रूप से उनका सहयोग किया। दोनों अधिकारी कॉर्पोरेट वित्त, बैंकिंग संचालन और धन के उपयोग का प्रबंधन कर रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों को अदालत में पेश किया जाएगा। सीबीआई ने कहा कि जांच जारी है।

मोहाली में 2 किलो 680 ग्राम अफीम के साथ दो गिरफ्तार

समर न्यूज़ | मोहाली

थाना सोहाना पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान बड़ी कार्रवाई करते हुए दो युवकों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 2 किलो 680 ग्राम अफीम बरामद की है। दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। डीएसपी सिटी-2 हरसिमरन सिंह बल ने बताया कि एसएसपी हरमनदीप सिंह हंस के निर्देशों पर जिले में समाज विरोधी तत्वों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत पुलिस टीम ने सेक्टर 78-79 के पास नाकेबंदी की हुई थी। इस दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार दो युवकों को शक के आधार पर रोककर तलाशी ली गई। पूछताछ में मोटरसाइकिल चालक ने अपना नाम राकेश कश्यप निवासी संगम विहार, थाना तिगड़ी, साउथ दिल्ली बताया, जबकि पीछे बैठे युवक ने अपना नाम हरीराज निवासी गांव कस्बा जालू, थाना हल्दौर, जिला बिजनौर (उत्तर प्रदेश) बताया। तलाशी के दौरान राकेश कश्यप की जेब से 980 ग्राम अफीम बरामद हुई, जबकि हरीराज के बैग से 1 किलो 700 ग्राम अफीम मिली। कुल मिलाकर पुलिस ने 2 किलो 680 ग्राम अफीम जब्त की है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को मौके पर ही गिरफ्तार कर उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों से पूछताछ कर यह पता लगाया जा रहा है कि वे अफीम कहां से लाए थे और इसे कहां सप्लाई करना था। मामले की गहन जांच जारी है।

राइटर मधु किश्वर पर चंडीगढ़ में FIR दर्ज

समर न्यूज़ | चंडीगढ़

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलने वाली फेमस राइटर मधु किश्वर पर चंडीगढ़ में केस दर्ज किया गया है। सोमवार को मधु किश्वर और अन्य लोगों के खिलाफ सेक्टर-26 थाने में FIR दर्ज की गई। यह कार्रवाई 19 अप्रैल को मिली शिकायत के आधार पर की गई। शिकायत में आरोप लगाया गया कि कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने एक वीडियो को गलत पहचान के साथ वायरल किया और उसमें अश्लील व भ्रामक शब्द जोड़कर पेश किया। इससे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की छवि खराब करने की कोशिश की गई और समाज में भ्रम फैलाया गया। शिकायतकर्ता के मुताबिक, यह सिर्फ गलती नहीं बल्कि जानबूझकर किया गया काम है। आरोप है कि फर्जी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तैयार कर उसमें अश्लील शब्द जोड़कर वायरल किया गया, ताकि संबंधित व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचे और माहौल खराब हो।

मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत निशुल्क कोचिंग के लिए आवेदन शुरू

एजेंसी | देवरिया

उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारी सुधीर पाण्डेय ने सोमवार को बताया कि विभाग की ओर से संचालित मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत निःशुल्क कोचिंग का संचालन राजकीय इंटर कॉलेज एवं महाराजा अग्रसेन कॉमर्स कॉलेज, में किया जा रहा है। इसके अंतर्गत यूपीएससी/यूपीपीएससी, जेईई, नीट एवं एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी निःशुल्क कराई जाती है।

उन्होंने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अभ्युदय प्रवेश परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम निर्धारित कर दिया गया है। आवेदन की प्रक्रिया 20 अप्रैल से शुरू हो चुकी है, जबकि आवेदन की अंतिम तिथि 5 जून निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि प्रवेश परीक्षा जून माह के द्वितीय सप्ताह में आयोजित की जाएगी। प्रवेश परीक्षा का परिणाम, काउंसिलिंग एवं मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों के पंजीकरण की प्रक्रिया जून माह के तृतीय सप्ताह में पूर्ण की जाएगी। कोचिंग कक्षाओं का संचालन 1 जुलाई 2026 से प्रारंभ किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अभ्युदय योजना के अंतर्गत निःशुल्क कोचिंग के लिए आवेदन पत्र जनपद स्तर पर महाराजा अग्रसेन कॉमर्स कॉलेज (मुख्यमंत्री अभ्युदय पुस्तकालय, कक्ष संख्या-4) से प्राप्त किए जा सकते हैं। वहीं योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9140893676 (कोर्स को-ऑर्डिनेटर), 7258826133 एवं 9695925434 पर कार्यालय अवधि (प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे) तक संपर्क किया जा सकता है। अभ्यर्थी एक से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए अलग-अलग आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया एवं कक्षाएं पूर्णतः निःशुल्क हैं।

उन्होंने बताया कि नीट/जेईई के लिए कक्षा 11 एवं 12 में अध्ययनरत अथवा उत्तीर्ण विज्ञान वर्ग के छात्र पात्र होंगे। यूपीएससी/यूपीपीएससी परीक्षा के प्रशिक्षण के लिए स्नातक अंतिम वर्ष में अध्ययनरत अथवा स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थी पात्र होंगे। एकदिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कक्षा 12 उत्तीर्ण अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं।

उद्यमिता

पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने महिलाओं को बताया देश की परिवर्तनकारी शक्ति

पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ संग महिला सशक्तीकरण पर विशेष संवाद

समर न्यूज़ | अमृतसर

रीजनल फैशन टेक्स एंड टेक फोरम, पीएचडीसीसीआई द्वारा 20 अप्रैल 2026 को ले मेरिडियन होटल, अमृतसर में भारत के पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद के साथ अमृतसर की अग्रणी महिला व्यक्तित्वों के लिए एक विशेष मीट एंड ग्रीट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सुश्री हिमानी अरोड़ा, चेयर, रीजनल फैशन टेक्स एंड टेक फोरम, पीएचडीसीसीआई, ने अपने स्वागत संबोधन में माननीय पूर्व राष्ट्रपति का अभिनंदन करते हुए फोरम द्वारा महिला सशक्तिकरण, कौशल विकास, उद्यमिता एवं नवाचार को बढ़ावा देने हेतु किए जा रहे निरंतर प्रयासों पर प्रकाश डाला। उन्होंने यह भी दोहराया कि फोरम ऐसे सार्थक मंचों के निर्माण हेतु प्रतिबद्ध है, जो महिलाओं को आर्थिक विकास एवं राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करें।

SWATI KOVIND
SAVITA KOVIND
RAM NATH KOVIND
HIMANI ARORA

अपने संबोधन में श्री राम नाथ कोविंद जी ने पीएचडीसीसीआई द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की तथा महिलाओं के सशक्तिकरण में रीजनल फैशन टेक्स एंड टेक फोरम की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि आज महिलाएं केवल सहभागी ही नहीं, बल्कि भारत के आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन की प्रमुख प्रेरक शक्ति बन चुकी हैं। उन्होंने उद्यमिता, नेतृत्व एवं नवाचार में महिलाओं की बढ़ती भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कौशल प्रशिक्षण, वित्तीय पहुंच, मार्गदर्शन एवं बाज़ार संपर्क जैसे सहयोगी तंत्रों को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर बल दिया। साथ ही उन्होंने शिक्षा, डिजिटल समावेशन एवं आत्मनिर्भरता के महत्व को रेखांकित करते हुए महिलाओं से विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया।

इस अवसर पर श्रीमती सविता कोविंद एवं श्रीमती स्वाति कोविंद की गरिमामयी उपस्थिति ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। श्री सुमित कुमार, सहायक सचिव, पीएचडीसीसीआई, ने इस अवसर पर पीएचडीसीसीआई सचिवालय का प्रतिनिधित्व किया। इस सत्र में अमृतसर की प्रमुख महिला हस्तियों की उत्साहपूर्ण भागीदारी रही, जिसने विचार-विमर्श, संवाद एवं प्रेरणा के लिए एक सशक्त मंच प्रदान किया।